

# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

संदर्भ : भा.वि.प्रा/रांची/वाणिज्यक/ /2023-24/N-91-B/485 (C-3)  
Ref. No. : AAI/RC/COMML/ /2023-24 /N-91-B /485 (C-3)

दिनांक : 01/09/2023

Date : 01/09/2023

स्पीड पोस्ट

Speed- Post

To

मैसर्स राधिका पर्ल एंड जेवेलरी / M/s Radhika Pearls and Jewellery,

मारवाडी कैंप, 1-2-115/1 /Madwadi Camp, 1-2-115/1,

कोथायुडेम, (तेलंगाना) /Kothayudem, (Telengana),

पिन-507101 / Pin- 507101

विषय : रांची हवाई अड्डे पर एसएचए में मोती और आभूषण स्टोर के रिटेल आउटलेट के लिए लाइसेंस प्रदान करना।

Sub : Award of Licence For License for Retail Outlet for Pearl and Jewellery Store in SHA at Ranchi Airport.

प्रिय महोदय/Dear Sir,

हमें आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सक्षम प्राधिकारी ने इस ई-बोली संख्या 2023\_AAI\_161093\_1, दिनांक 18.07.2023 के जवाब में "रांची हवाई अड्डे पर रेडीमेड परिधान और परिधान एसेसरीज खुदरा स्टोर के लिए लाइसेंस" के लिए आपकी बोली स्वीकार कर ली है।

We are pleased to inform you that Competent Authority has accepted your bid for "LICENSE FOR RETAIL OUTLET FOR PEARL AND JEWELLERY STORE IN SHA AT RANCHI AIRPORT," in response to this E-bid No. 2023\_AAI\_161093\_1, dated 18.07.2023.

निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार मैसर्स राधिका पर्ल एंड जेवेलरी को 05 वर्ष की अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाता है:/ The licence is hereby accorded to M/s Radhika Pearls and Jewellery, for a period of 05 Years as per the following terms & conditions:

1. यह आवंटन पत्र एक समझौते का हिस्सा होगा जिसे लाइसेंसधारी द्वारा इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 07 दिनों के भीतर स्वीकृति के रूप में हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया जाना है।  
This award letter will be a part & parcel of agreement to be submitted by the licensee by signing as acceptance within 07 days from the date of issue of this award letter.

2. बिजनेस इनक्यूबेशन अवधि आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 15 दिन है, बोलीदाता आवंटन पत्र की सभी औपचारिकताओं/शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य होगा।

Business Incubation Period is 15 days from the date of issuance of award letter bidder will be under obligation to complete all the formalities /conditions of award letter.

3. 120 दिनों की गर्भाधान अवधि लागू है, जो बिजनेस इनक्यूबेशन अवधि की समाप्ति की तारीख से मानी जाएगी यानी आवंटन पत्र जारी होने के 16वें दिन से और आवंटन पत्र जारी होने की तारीख से 135वें दिन समाप्त होगी।

Gestation period of 120 days is applicable, which will be reckoned from the date of expiry of Business Incubation Period i.e. from the 16<sup>th</sup> day of issue of award letter and expiring on the 135<sup>th</sup> day from the date of issue of award letter.

कार्यालय: वाणिज्य विभाग

O/o Commercial Directorate

अनिल कुमार, सहायक प्रबंधक (वाणिज्य), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, रांची/Birsa Munda Airport, Ranchi

सहायक प्रबंधक (वाणिज्य) / Asst. Manager (Commercial)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India

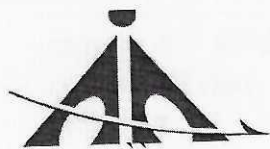
रांची हवाई अड्डा, रांची/Birsa Munda Airport, Ranchi

टेली: 0651- 2250035

Tel: 0651- 2250035

ईमेल: rc\_cml@aai.aero

e-mail: rc\_cml@aai.aero



एक पृथ्वी - एक परिवार - एक भविष्य  
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Page :: (2) ::

4. लाइसेंस 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। वाणिज्यिक बिलिंग व्यवसाय शुरू होने या निर्माण अवधि की समाप्ति पर, जो भी पहले हो, शुरू होगी।

The licence will be valid for a period of 5 Years. Commercial billing will start on commencement of business or expiry of gestation period, whichever is earlier.

5. लाइसेंस शुल्क एवं क्षेत्रफल, स्थान किराया आदि का विवरण इस प्रकार होगा:

The details of the licence fee & area, space rent, etc. will be as follows :

| Name of the Licence and Area                                                                                                         | Monthly Licence Fee    | 10 % Utility Charges on space rent                                                                       | GST @ 18%                                                            | Monthly Payable Amount                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)                                                                                                                                  | (2)                    | (3)                                                                                                      | (4)                                                                  | (5)                                                                                                    |
| License for <b>Retail Outlet for Pearl and Jewellery Store in SHA at Ranchi Airport.</b><br>( SHA First Floor)<br>10 Sqm<br>(Approx) | 193570/-<br>Per Month. | Rs. 1250/-<br>[10 % on space rent of Rs.12,500/- for Financial Year 2022-23 (i.e. Rs. 1250/- x 10 sqm.)] | Rs 35,068/-<br>(On applicable Monthly License Fee + Utility Charges) | <b>Rs. 2,29,888/-</b><br><b>(Rupees Two Lakh Twenty Nine Thousand Eight Hundred Eighty Eight only)</b> |

6. मौजूदा दरों पर जीएसटी और अन्य सभी लागू कर/लेवी/शुल्क लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त लाइसेंसधारी द्वारा देय हैं।

GST and all other applicable taxes/ levies / fees at the prevailing rates are payable by the licensee in addition to the licence fee.

7. लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त स्थान किराये पर 10% की दर से उपयोगिता शुल्क देय होगा। स्थान किराये के 10% की दर से या एएआई, सीएचक्यू द्वारा निर्धारित दरों पर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि हर साल 1 अप्रैल को लागू होगी या एएआई द्वारा समय-समय पर संशोधित की जाएगी।

Utility charge @ 10% on space rent shall be payable in addition to licence fee by the licensee. Compound annual escalation @ 10% of space rent or at the rates prescribed by AAI, CHQ will be applicable on 1<sup>st</sup> April every year or revised by AAI from time to time.

8. लाइसेंसधारी को एएआई दिशानिर्देशों के अनुसार लाइसेंसधारी नाम की ब्रांडिंग के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में द्विभाषी बोर्ड स्थापित करना होगा।

The Licensee shall install bilingual board both Hindi and English for branding licensee name as per AAI guidelines.

9. लाइसेंसधारी वास्तविक उपयोग के अनुसार बिजली की खपत और पानी के शुल्क का भुगतान करेगा।

The licensee shall pay the charges for the consumption of the electricity and water charges as per actual usage.

10. लाइसेंस शुल्क का भुगतान लाइसेंसधारी द्वारा प्रत्येक माह की 10 तारीख या उससे पहले अग्रिम रूप से किया जाता है।

The licence fee is payable by the licensee on or before 10<sup>th</sup> day of each month.

चन्द्रशेखर कुमार / CHANDRA SHEKHAR KUMAR

सहायक प्रबंधक (वाणिज्य) / Asst. Manager (Commercial)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India

बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, राँची / Birsa Munda Airport, Ranchi

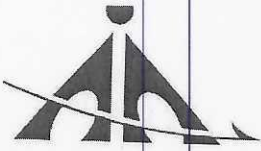
कार्यालय: वाणिज्य विभाग  
O/o Commercial Directorate

टेली: 0651- 2250035

ईमेल: rc\_cml@aai.aero

Tel: 0651- 2250035

e-mail: rc\_cml@aai.aero



# भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Page :: (3) ::

11. बकाया राशि एक महीने से अधिक होने की स्थिति में, प्राधिकरण अन्य अधिकारों और उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विलंबित भुगतान पर 12% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज लगाने का हकदार हो सकता है।

In the event of outstanding dues exceeds one month, the Authority may without prejudice to other rights and remedies be entitled to charge penal interest @12% per annum on delayed payment.

12. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अग्रिम लाइसेंस शुल्क अर्थात् रु. 2,29,215/- (दो लाख उनतीस हजार दो सौ पंद्रह रुपये मात्र) लागू जीएसटी सहित मौजूदा दरों पर का भुगतान करना होगा।

Payment of advance licence fee i.e. Rs. 2,29,888/- (Rupees Two Lakh Twenty Nine Thousand Eight Hundred Eighty Eight only) including applicable GST at the prevailing rates is payable by the licensee within 15 days from the date of issue of this award letter.

13. लाइसेंसधारी से छह महीने की लाइसेंस फीस के बराबर सुरक्षा जमा राशि यानी रु. 13,79,328/- (तेरह लाख उनहतर हजार तीन सौ अठ्ठाईस रुपये मात्र) [अर्थात् रु. 2,29,888/- x 6 महीने] आवंटन पत्र की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करने का अनुरोध किया जाता है। राशि केवल भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में रांची में देय राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित बैंक के भुगतान आदेश/आरटीजीएस/एनईएफटी/बैंक गारंटी के रूप में स्वीकार की जाएगी। सहकारी बैंक या ग्रामीण बैंक से बैंक गारंटी स्वीकार नहीं की जाएगी। बैंक गारंटी अनुबंध की अवधि के दौरान और उसके बाद 06 महीने तक वैध रहेगी। सुरक्षा जमा पर कोई ब्याज देय नहीं है। बैंक गारंटी एसएफएमएस सिस्टम सत्यापन योग्य होगी।

The licensee is requested to deposit an amount equal to Six months licence fees, i.e. Rs. 13,79,328/- (Rupees Thirteen Lakh Seventy Nine Thousand Three Hundred Twenty Eight Only) [i.e. Rs. 2,29,888/- x 6 months] within 15 days from the date of award letter. The security deposit will be accepted only in the form of Pay order / RTGS/NEFT/ Bank Guarantee of a nationalized /scheduled bank in favour of Airports Authority of India, payable at Ranchi. Bank Guarantee from Cooperative Bank or Gramin Bank will not be accepted. The Bank Guarantee shall be valid during the currency of contract and 06 months thereafter. No interest is payable on Security Deposit. Bank Guarantee shall be SFMS sytem verifiable as per attached format.

14. लाइसेंसधारी द्वारा आवंटन पत्र की तारीख से 15 दिनों के भीतर बिजली/पानी आदि के लिए आवश्यक सुरक्षा जमा राशि 1,16,892/- रुपये (एक लाख सोलह हजार आठ सौ बानबे रुपये मात्र) के रूप में देय है।

The Security Deposit for Electricity is Rs. 1,16,892 /- (Rupees One Lakh Sixteen Thousand Eight Hundred Ninety Two Only) as Security Deposit required for Electricity / Water etc within 15 days from the date of award letter.

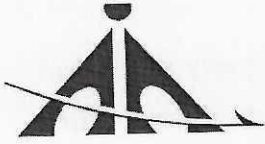
15. लाइसेंसधारी को आवंटित काउंटर का उपयोग विशेष रूप से उन सेवाओं के उद्देश्य के लिए करने की अनुमति दी जाएगी जिसके लिए इसे आवंटित किया गया है, किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

The licensee shall be allowed to use the allotted counter exclusively for the purpose of services for which it is allotted and not for any other purpose under any circumstances.

कार्यालय: वाणिज्य विभाग  
चक्रवर्ती कुमार (वाणिज्य) / Asst. Manager (Commercial)  
सहायक प्रबंधक (वाणिज्य) / Asst. Manager (Commercial)  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India  
बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची / Birsa Munda Airport, Ranchi

बिरसा मुंडा विमानपत्तन, रांची-834002  
Birsa Munda Airport, Ranchi-834002

टेली: 0651- 2250035 ईमेल: rc cml@aai.aero  
Tel: 0651- 2250035 e-mail: rc cml@aai.aero



एक पृथ्वी - एक परिवार - एक भविष्य  
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE



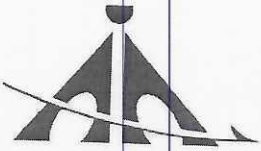
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण  
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

Page :: (4) ::

16. लाइसेंसधारी से अनुरोध है कि वह इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर इस कार्यालय में साइट हैंडओवर रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर एएआई और पार्टी द्वारा संयुक्त माप किया जाएगा। संयुक्त माप समझौते का एक हिस्सा बनेगा।  
The licensee is requested to submit site hand over report at this office within 15 days from the date of issue of this award letter. The joint measurement would be carried out by AAI and the party within 15 days from the date of issue of this award letter. The joint measurement would form a part of the agreement.
17. इस आवंटन पत्र के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर लाइसेंसधारी से रुपये 100/- गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (झारखण्ड राज्य) पर लाइसेंस समझौते के निष्पादन के लिए अनुरोध किया जाता है। स्टाम्प पेपर की लागत जो लाइसेंसधारी द्वारा वहन की जाएगी।  
The licensee is requested for execution of Licence Agreement on Rs. 100/- non-judicial stamp paper of Jharkhand State only within 15 days from the date of issue of this award letter. The cost of stamp paper which will be borne by the licensee.
18. लाइसेंसधारी को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए दुकान का एक लेआउट प्लान प्रस्तुत करना आवश्यक है। The licensee is required to submit a lay-out plan of the shop for approval of the Competent Authority.
19. लाइसेंसधारी समय-समय पर लागू श्रम कानूनों के सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगा।  
The licensee shall abide by all the rules and regulation of Labour Laws applicable from time to time.
20. लाइसेंसधारी द्वारा लागू शुल्क के भुगतान पर बीसीएस के दिशानिर्देशों के अनुसार हवाईअड्डा प्रवेश पास जारी किए जाएंगे।  
Airport Entry Passes will be issued as per guidelines of BCAS on payment of applicable charges by the licensee.
21. लाइसेंसधारी अपने खर्च पर फायर अलार्म सिस्टम सहित सभी इलेक्ट्रिक फिटिंग, इंस्टॉलेशन और ऐसे अन्य इलेक्ट्रिक उपकरणों का रखरखाव करेगा जो उक्त परिसर में प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं या इसके बाद उक्त परिसर में उक्त प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं।  
The Licensee shall maintain at his own cost all the electric fittings, installations and such other electric equipment's including Fire Alarm System as may be provided by the Authority in the said premises or as may hereafter be provided by the said Authority in the said premises.
22. लाइसेंसधारी उस परिसर का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं करेगा जिसके लिए लाइसेंस दिया गया है। लाइसेंसधारी प्राधिकरण से लिखित पूर्व अनुमति के बिना उक्त परिसर में किसी अन्य प्रकार का विज्ञापन या साइनबोर्ड नहीं लगाएगा या प्रदर्शित नहीं करेगा।  
The Licensee shall not use the premises for any purpose other than that for which the licence has been granted. The Licensee shall not erect or display any other type of advertisement or signboards upon the said premises without prior permission in writing from the Authority.

चंद्रशेखर कुमार / CHANDRA SHEKHAR KUMAR  
सहायक प्रबंधक (वाणिज्य) / Asst. Manager (Commercial)  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India



23. लाइसेंसधारी से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वह लाइसेंस शुरू होने से पहले उक्त लाइसेंस के लिए नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों के नाम सूचित करे।  
The licensee is also requested to intimate the names of the persons to be employed for the said licence before commencement of the licence.
24. यह आवंटन पत्र लाइसेंस समझौते का एक अभिन्न अंग होगा जो दोनों पक्षों, यानी लाइसेंसधारी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को बाध्य करेगा।  
This award letter will be an integral part of licence agreement binding both the parties, i.e. the licensee and Airports Authority of India.
25. अन्य सभी नियम एवं शर्तें एनआईटी के अनुसार होंगी।  
All other terms & conditions will be as per NIT.
- अनुरोध है कि कृपया एक स्वीकृति पत्र इस कार्यालय को सूचित किया जाए और ऊपर उल्लिखित अन्य सभी औपचारिकताएं कृपया 07 दिनों की निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरी की जाएं।  
It is requested that an acceptance letter may please be conveyed to this office and all other formalities as mentioned above may please be completed within the stipulated time period of 07 days.

Thanking you,

आपका विश्वासी/Yours faithfully

  
01.09.23

अश्विनी कुमार / ASHWINI KUMAR  
सहायक प्रबंधक (वणिज्य) / Asst. Manager (Commercial)  
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण / Airports Authority of India  
बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, राँची / Birsa Munda Airport, Ranchi  
For Airport Director

आंतरिक प्रतिलिपि:

संयुक्त म.प्र(विद्युत)/उप.म.प्र(ओप्स)/उप.म.प्र(वित्त)/उप.म.प्र सिविल/सीएसओ/ओएसडी, एयरपोर्ट निदेशक, बी.एम.एयरपोर्ट, राँची।

Internal Copy to :

Jt.GM (Elect)/DGM(OPS)/ DGM (Finance) / DGM (Civil) /CSO / OSD to Airport Director, B. M. Airport, Ranchi.

बिना मुद्रा हवाई अड्डा, (टी) Brea Mundia Airport, Ranchi  
राष्ट्रीय विमानतट प्राधिकरण (National Airport Authority of India)  
सहायक प्रबन्धक (व्यापार) (Assistant Manager (Commercial))  
चन्द्रशेखर कुमार (CHANDRA SHEKHAR KUMAR)